संख्या- 54/2026/I/1275476 /2026/71-1002(002)/23/2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 22 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयत्र मद में होने वाली बचत के सापेक्ष उपकरण क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज(उपकरण)/2025-26/1251, दिनांक 28.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश दिनांक 20-05-2025 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में मानक मद-26 मशीने और सज्जा / उपकरण एवं संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2.00 करोड़ के सापेक्ष उपकरणों के क्रय के उपरान्त बचत की अवशेष धनराशि रू0 26,75,830.00 में से मेडिसिन विभाग के लिए 02 नग Hemodialysis Machine with UPS and Dialyzer holder Rack -02each रू0 26,00,000.00 के क्रय हेतु वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-106/2025/1/967382/2025-71-1002(002)/ 23/2022, दिनांक 20-05-2025 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में उपकरणों के क्रय हेतु रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-106/2025/1/967382/2025-71-1002(002)/ 23/2022, दिनांक 20-05-2025 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में उपकरणों के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 26,75,830.00/- के सापेक्ष मेडिसिन विभाग हेतु 02 नग उपकरण- Hemodialysis Machine with UPS and Dialyzer holder Rack-02 each, लागत **रू0 26,00,000.00/- (रू0 छब्बीस लाख मात्र)** के क्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वित्तीय नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश संख्या-106/2025/1/967382/2025-71-1002(002)/ 23/2022, दिनांक 20-05-2025 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।